५ रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

10 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर

निग- 1823-III-14

उत्तम सिंह पुत्र मनीराम राजपूत निवासी सिंहपुर तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

1. नृपत पुत्र बलराम राजपूत निवासी ग्राम पवा तहसील व जिला मोहवा उ.प्र. हाल निवास सिंहपुर तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म.प्र.
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) –– अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/2010–11 एवं प्रकरण क्रमांक 03/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, ग्राम सिंहपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 677, 678, 680, 681, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 722, 965, 966, 967, 969, 970, 971, 972, 973, 974, कुल किता 20 कुल रकवा 6.917 हैक्ट्यर जिसमें वसीयत कर्ता का हिस्सा 1/8 है। एवं दूसरा खाता खसरा नं. 692, 687, 688, 689, 709, 710 कुल किता 6 रकवा 3.487 हैक्ट्यर जिसमें 1/16 हिस्सा वसीयत कर्ता के हिस्से की भूमि है। इन दोनों खातों के हिस्सों को जगत सिंह पुत्र भूरा लोधी ने अपने सगे भतीजे उत्तम सिंह पुत्र मनीराम (आवेदक) को वसीयतनामा दिनांक 23.09.2009 को किया है जिसके आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदक द्वारा तहसीलदार महाराजपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 3/अ–6/2009–10 प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में एक अन्य आवेदन नामान्तरण बावत् अनावेदक क्रमांक 1 नृपत द्वारा वसीयतनाम दिनांक 22.09.2009 के आधार पर प्रस्तुत किया है। तहसीलदार महाराजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2011 से अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण आवेदन स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि उसके द्वारा वसीयतनामा को साक्ष्य से साबित ही नही किया था। ऐसी स्थिति में नामान्तरण किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1823-तीन/2014 जिला छतरपुर उत्तम विरूद्ध नृपत व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2010-11 व 03/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 01/3/19	